संख्याः 1646/79–6–04–1(6)/2000टी.सी.3

प्रेषक,

श्री हरिराज किशोर,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3.

शिक्षा अनु0–6 **लखनऊ दिनांक 23 जुलाई, 2004**

विषयः प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को गर्म पका–पकाया भोजन (कुक्ड मील) दिए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1429/79–6–04–1(6)/00टी.सी.–3 दिनांक 25 जून, 2004 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि देश के कतिपय प्रदेशों एवं संघ शासित प्रदेशों में मिड–डे–मील योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को पका–पकाया भोजन (कुक्ड मील) दिया जा रहा है, जिसे खाने के उपरान्त कुछ प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे बीमार पड़ रहे है। अब उ0प्र0 में भी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को भी गर्म पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाना है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि भोजन सामग्री का भण्डारण, भोजन को बनाने, परोसने तथा उपयोग में लाये जाने में सफाई एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाय। भोजन पकाने वाले कर्मी भी स्वच्छता से कार्य करने के साथ में स्वयं भी स्वच्छ रहे। मध्यान्ह पोषाहार योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न स्तरों पर समितियां गठित किए जाने की व्यवस्था उक्त शासनादेश में की गयी है। इस गठित समितियों का निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व हागाः–

1. मध्यान्ह पोषाहार योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये जा रहे खाद्यान्न चावल, गेहूँ आदि को गोदाम से उठाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि खाद्यान्न सड़ा गला एवं खराब न हो।
2. खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री को ले जाने वाले सामान जैसे बोरा, वाहन, बर्तन, थैला आदि साफ सुथरा हों।
3. खाद्यान्न को रखने हेतु स्टोर की साफ सफाई उच्चकोटि का हो तथा खाद्यान्न को कीटाणुओं से बचाये रखने हेतु आवश्यक समस्त उपाय किए जाय।
4. खाना पकाने से पूर्व उपलब्ध खाद्यान्न गेंहूँ अथवा चावलों को अच्छी तरह से साफ कर लिया जाय एवं आवश्यकतानुसार धो लिया जाय।
5. खाना पकाने हेतु उपयोग में लाये जाने वाले समस्त बर्तनों को अच्छी तरह से साफ कर लिया जाय।
6. खाना बन्द बर्तनों में स्टीम कुकिंग द्वारा पकाने का यथा सम्भव प्रयास किया जाय।
7. पके–पकाये खानों को हाथों से न परोसकर खाना परोसने वाले बर्तनों का प्रयोग किया जाय।
8. गर्म पका–पकाया भोजन बच्चों को परोसने से पूर्व यह अत्यन्त आवश्यक है कि खाने को किसी व्यस्क व्यक्ति (अध्यापक/अध्यापिका या सामुदाय का व्यक्ति) चख ले जिससे भोजन की गुणवत्ता का परीक्षण हो सके व बच्चों को किसी प्रकार की क्षति न हो।
9. पका–पकाया भोजन उपभोगपरान्त किन्हीं कारणों से बच जाय तो उसे दूसरे दिन बच्चों को कदापि न परोसा जाएगा।

10. खाना पकाने हेतु स्वच्छ बर्तन का प्रयोग किया जाय।
11. खाना पकाने हेतु उच्च गुणवत्ता वाले मसाले तेल आदि का प्रयोग किया जाय।
12. आवश्यकतानुसार हरी एवं ताजी सब्जियों का प्रयोग किया जाय।
13. खाना पकाने हेतु पक्की छत वाले भवन/किचन शेड का प्रयोग किया जाय।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित एजेंसी को उक्त निर्देशों से अवगत कराया जाय।

भवदीय
ह0
(हरिराज किशोर)
सचिव, बेसिक शिक्षा

पृष्ठांकन समसंख्यक(1) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. निदेशक, बेसिक शिक्षा।
7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम।
9. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, उ0प्र0।
10. समस्त काषाधिकारी, उ0प्र0।
11. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
12. समस्त जिला पंचायती राज अधिकारी, उ0प्र0।
13. गार्ड फाइल/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी।

आज्ञा से
ह0
(दिनेश चन्द्र कनौजिया)
विशेष सचिव